



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241325
CG-DL-E-23122022-241325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796]
No. 796]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 892(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (थ) और (यज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020 के नियम (7) के, उप-नियम (2) में सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

क्रम सं.	प्रतिफल के रूप में संदत्त माल एवं सेवाओं का मूल्य	संदेय शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)
	जिला आयोग	
(1)	पांच लाख रुपए तक	शून्य
(2)	पांच लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक	200 रुपए

(3)	दस लाख रुपए से अधिक और बीस लाख रुपए तक	400 रुपए
(4)	बीस लाख रुपए से अधिक और पचास लाख रुपए तक	1000 रुपए
	राज्य आयोग	
(5)	पचास लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपए तक	2000 रुपए
(6)	एक करोड़ रुपए से अधिक और दो करोड़ रुपए तक	2500 रुपए
	राष्ट्रीय आयोग	
(7)	दो करोड़ रुपए से अधिक और चार करोड़ रुपए तक	3000 रुपए
(8)	चार करोड़ रुपए से अधिक और छह करोड़ रुपए तक	4000 रुपए
(9)	छह करोड़ रुपए से अधिक और आठ करोड़ रुपए तक	5000 रुपए
(10)	आठ करोड़ रुपए से अधिक और दस करोड़ रुपए तक	6000 रुपए
(11)	दस करोड़ रुपए से अधिक	7500 रुपए

[फा. सं. जे-10/6/2018-सीपीयू (भाग 1)]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 448(अ) तारीख 15 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

G.S.R. 892(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (q) and (zj) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020, in rule 7, in sub-rule (2), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Sl. No.	Value of goods or services paid as consideration	Amount of fee payable
(1)	(2)	(3)
	District Commission	
(1)	Upto Rupees Five Lakh	Nil
(2)	Above Rupees Five Lakh and upto Rupees Ten Lakh	Rs. 200
(3)	Above Rupees Ten Lakh and upto Rupees Twenty Lakh	Rs. 400
(4)	Above Rupees Twenty Lakh and upto Rupees Fifty Lakh	Rs. 1000
	State Commission	
(5)	Above Rupees Fifty Lakh and upto Rupees One Crore	Rs. 2000
(6)	Above Rupees One Crore and upto Rupees Two Crore	Rs. 2500

	National Commission	
(7)	Above Rupees Two Crore and upto Rupees Four Crore	Rs. 3000
(8)	Above Rupees Four Crore and upto Rupees Six Crore	Rs. 4000
(9)	Above Rupees Six Crore and upto Rupees Eight Crore	Rs. 5000
(10)	Above Rupees Eight Crore and upto Rupees Ten Crore	Rs. 6000
(11)	Above Rupees Ten Crore	Rs. 7500”.

[F. No. J-10/6/2018-CPU(Pt.1)]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 448(E), dated the 15th July, 2020.